प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 किरन सिंह* और डॉ0 एस0 एन0 सिंह**

सारांश

इस शोध में वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोध अध्ययन को जनपद सीतापुर के चार विकास खण्डों (सिधौली, मिश्रिख, महमूदाबाद एवं हरगॉव) तक सीमित किया गया। प्रस्तुत अध्ययन हेतु जनपद सीतापुर के कुल 23 विकास खण्डों में से 4 विकास खण्डों सिधौली, मिश्रिख, महमूदाबाद तथा हरगॉव का चयन याट्टच्छिक न्यादर्शन विधि के द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 20 वित्तीय मान्यता प्राप्त तथा 20 वित्त विहीन मान्यता प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया । वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति के मापन हेतु अहलूवालिया द्वारा विकसित **"अध्यापन अभिवृत्ति मापनी"** का प्रयोग किया गया। वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मध्यमान, मानक–विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया।

वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन–अभिवृत्ति उच्च होनी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं पाया गया क्योंकि इन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक उच्च शैक्षिक योग्यताधारी प्रशिक्षित, स्थायी, एक निश्चित उच्च वेतनमान प्राप्त तथा अधिक शिक्षण अनुभव वाले हैं। जबकि वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक अप्रशिक्षित, अल्पवेतन भोगी, अस्थायी एवं अधिकांश कम अनुभव वाले हैं। सम्भवतः इसका कारण वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन कार्य के प्रति रूचि का न होना, गैर शैक्षणिक कार्यो में संलग्न होना, सेवा सुरक्षा के कारण भय का अभाव, अपने घर के पास नियुक्त होना तथा इन पर कोई प्रभावी नियन्त्रण न होना हो सकता है।

प्रस्तावना

शिक्षा मानवीय ज्ञान, शक्ति और जीवन में सफलता और उच्च स्तरीय जीवन प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रभावी एवं ठोस प्रक्रिया सीखने वाले के क्षमता, दक्षता, रूचि, व्यवहार एवं मूल्यों में वृद्विकरती है। शिक्षा की इस महती शक्ति को दृश्टि में रखते हुए सभी उन्नतिशील समाजों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को उन्नतिशील बनानें का एक सूत्रीय उदेद्श्य बनाया और इस बात का प्रयास है कि सभी के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा हो। व्यक्तिगत, सामाजिक और राश्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष में प्राथमिक शिक्षा की सफलता के पीछे शिक्षक–शिक्षा का विशेश महत्व है। वास्तव में यह उच्च दक्षता और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी विद्यालय एक विशिश्ट तत्व प्रभावी शिक्षक की अपेक्षा करता है। एक प्रभावी शिक्षक की तैयारी बिना गुणवत्तापरक शिक्षक शिक्षा के सम्भव नहीं है।

एक शिक्षक ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षा नीति लागू करने में अहम् भूमिका निभाता है। एक शिक्षक का सीखने वालों के जीवन एवं व्यवहार में यथोचित परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उपलब्ध स्त्रोतों की अपेक्षा शिक्षक की सम्प्रेशण शक्ति तथा नवीनता अधिक महत्वूपर्ण है। आज के इस प्रतियोगी समाज में अच्छे एवं बुरे स्कूलों में अन्तर विशेश रूप में उनके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

शिक्षकों से विभिन्न प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जा सकती है। उन्हें बदले हुए परिवेश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक आधारों से आये हुए छात्रों, जिनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूढ़ना है। विस्तृत रूप से बदलते हुए आशाओं, मूल्यों, रूचियों, सामाजिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं से शिक्षक को जूझना पड़ता है। शिक्षक को ज्ञान के बढ़ते स्वरूप तथा छात्रों के प्रभावी आचरणों को बनाने में उनमें विश्वास का भाव भरना होता है। जिससे कि बालक समाज के लिए प्रभावी हो सकें। उसे समाज और स्कूल के बीच सेतु का काम करना पड़ता है। राश्ट्रीय शिक्षा

*असिसटेन्ट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, बोरा इन्स्टीट्यिट मैनेजमेन्ट आफ साइन्सेज, लखनऊ
**एसोसिएट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

नीति (1986) में स्पश्ट कहा गया है कि शिक्षक के लिए विभिन्न कार्यो में दक्ष होना आवश्यक है। यदि शिक्षक व्यावसायिक दक्षता अर्जित कर लेता है, तो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यों के सम्पादन के साथ–साथ स्कूल और समाज में वृत्तिक ढंग से समन्वय स्थापित कर सकता है। यह सब कुछ तभी सम्भव है जब शिक्षक में शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति हो। फलस्वरूप एक अनुभवी शिक्षक के शैक्षिक क्रिया–कलापों से शुरू हो कर यह एक उच्च स्तरीय गुणवत्तापरक शिक्षा में परिवर्तित हो जाती है। उपरोक्त के आलोक में इस अध्ययन का चयन किया गया। **अग्रवाल (1996)** ने अपने शोध अध्ययन "परिशदीय और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति व कृत्य सन्तोश का तुलनात्मक अध्ययन" द्वारा निश्कर्श प्राप्त किया कि परिशदीय विद्यालयों के अध्यापकों की व्यवसाय के आन्तरिक पक्ष सम्बन्धी अभिवृत्ति निजी विद्यालयों के अध्यापकों की तुलना में अधिक सकारात्मक थी। परिशदीय विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति की तुलना करने पर व्यवसाय सम्बन्धी अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया। परिशदीय अध्यापक प्राइवेट अध्यापकों की तुलना में वेतन व प्रोन्नति के अवसरों से, अधिकारियों से, सन्तोश की दृश्टि से, शिक्षण व्यवसाय का समाज में स्थान, अध्यापकों के पारस्परिक सम्बन्धों में सन्तोश की दृश्टि से अधिक सन्तुश्ट पाये गये। जबकि इन्हीं कारकों पर निजी विद्यालयों के शिक्षकों नें असन्तोश व्यक्त किया। परिशदीय विद्यालय के शिक्षकों ने प्राइवेट की तुलना में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में असन्तोश व्यक्त किया। **जेराल्डेन (1994)** ने उत्तरी कैरोलिना के प्राथमिक विद्यालयों के कुछ शिक्षकों पर शोध किया। शोधकर्ता ने यह ज्ञात किया कि जो शिक्षक कम पढ़े–लिखे थे, किन्तु विद्यालय में अधिक समय से कार्यरत थे औरं अधिक शिक्षण अनुभव रखते थे, उनकी अभिवृत्ति विद्यालय के पक्ष में थी। अनुभव के आधार पर व निरन्तर अभ्यास से शिक्षकों से सम्बन्धित अधिकतर गुण एवं दक्षताएं इन शिक्षकों में उत्पन्न हो गयी। फलतः वे शिक्षक अपने कार्यो से संतुश्ट रहते थे। **गोस्वामी (1987)** ने "जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग टीचर्स आफ सेन्ट्रल स्कूल" पर अध्ययन करने हेतु उत्तर प्रदेश, भारत के पूर्वी क्षेत्र के 2000 शिक्षकों का स्तरीकृत विधि से चयन किया तथा निश्कर्श निकाला कि शिक्षक कार्य से पूर्णतः सन्तुश्ट नहीं पाये गये। वे कुछ क्षेत्र जैसे वेतन, व्यवसाय सुरक्षा, प्रोन्नति एवं कार्य दशाओं में सुधार चाहते थे। पुरूश शिक्षक व्यवसाय के प्रति सन्तुश्ट पाये गये जबकि महिला शिक्षक असन्तुश्ट पायी गयी। पूर्वी भारत के अधिकतर शिक्षक नियुक्ति के समय आयु में छूट चाहते थे।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य "वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना था।"

परिकल्पाना

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना वित्तीय मान्यता प्राप्त तथा वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति की में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" थी।

सीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन को जनपद सीतापुर के चार विकास खण्डों (सिधौली, मिश्रिख, महमूदाबाद एवं हरगॉव) तक सीमित किया गया।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु जनपद सीतापुर के कुल 23 विकास खण्डों में से 4 विकास खण्डों सिधौली, मिश्रिख, महमूदाबाद तथा हरगॉव का चयन याट्टच्छिक न्यादर्शन विधि के द्वारा किया गया। तत्पश्चात चयनित प्रत्येक विकास खण्ड से 10 प्राथमिक विद्यालयों (5 वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय तथा 5 वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय) का चयन भी याट्टच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया । इस प्रकार कुल 20 वित्तीय मान्यता प्राप्त तथा 20 वित्त विहीन मान्यता प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया ।

इस प्रकार चयनित 20 वित्तीय एवं 20 वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शोध उपकरण के प्रशासन की तिथि को उपस्थित समस्त अध्यापकों का चयन प्रस्तुत अध्ययन हेतु किया गया।

अन्तिम रूप में वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के 53 अध्यापकों तथा वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के 90 अध्यापकों को इस अध्ययन के न्यादर्श में सम्मिलित किया गया।

शोध उपकरण

वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति के मापन हेतु अहलूवालिया द्वारा विकसित **"अध्यापन अभिवृत्ति मापनी"** का प्रयोग किया गया। इस अभिवृत्ति मापनी में कुल 90 पदों को शामिल किया गया है। इस मापनी में 6 खण्ड थे तथा प्रत्येक खण्ड में 15 कथन थे जो कि शिक्षक के अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाते थे। इन कथनों के कोई पूर्व निर्धारित सही या गलत उत्तर नहीं थे। इस मापनी के प्रत्येक कथन के पॉच विकल्प खानों में से किसी एक पर सही का निशान अंकित करना था। यदि आप कथन से पूर्ण सहमत हैं तो पहले वाले खाने में, सहमत हैं तो दूसरे वाले खाने में, अनिश्चित हैं तो तीसरे खाने में, असहमत हो तो चौथे खाने में तथा पूर्ण असहमत होने पर पांचवे खाने में सही का निशांन अंकित करने थे।

अंकन हेतु इस मापनी के अनुकूल कथनों के उत्तर में पूर्णतः सहमत को 4 अंक, सहमत को 3 अंक, अनिश्चित को 2 अंक, असहमत को 1 अंक तथा अपूर्णतः असहमत को शून्य अंक प्रदान किये गये। इसी प्रकार प्रतिकूल कथनों के उत्तर में पूर्णतः असहमत को 4 अंक, असहमत को 3 अंक, अनिश्चित को 2 अंक, सहमत को 1 अंक तथा पूर्णतः सहमत को 0 अंक प्रदान किये गये। सभी उपमापनी के सम्पूर्ण पदों के प्राप्तांकों का योग एक शिक्षक के अभिवृत्ति प्राप्तांक का योग था। इस प्रकार इस मापनी में अधिकतम प्राप्तांक 360 हो सकता था जो कि शिक्षक की अधिक तथा अनुकूल अभिवृत्ति को प्रदर्शित करेगा।

ऑकड़ों की संकलन विधि

प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित ऑकड़ों को एकत्रित करने के लिए सर्वप्रथम जनपद सीतापुर के चयनित चार विकास खण्डों (सिधौली, मिश्रिख, महमुदाबाद तथा हरगॉव) से 20 वित्तीय एवं 20 वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया। तत्पश्चात जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर चयनित समस्त वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से अलग–अलग समय में सम्पर्क स्थापित कर शोध अध्ययन के उद्देश्य से उन्हें अवगत करा करके शोध उपकरण के प्रशासन की अनुमति प्राप्त की गयी। सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुमति मिलने के पश्चात एक निश्चित कार्य दिवस में उस प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित समस्त अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति का मापन करने के लिए "अध्यापन अभिवृत्ति मापनी" का प्रशासन किया गया। इसी प्रकार सभी चयनित प्राथमिक विद्यालयों में "अध्यापन अभिवृत्ति मापनी" उपकरण का प्रशासन किया गया। इसका अंकन इस मापनी की हस्त–पुस्तिका की अंकन विधि की सहायता से किया गया। इस प्रकार इस अध्ययन हेतु वैध एवं विश्वसनीय ऑकडों का संकलन किया गया।

ऑकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण

वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मध्यमान, मानक–विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य "वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना" था। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अध्यापन अभिवृत्ति के मापन हेतु आहलूवालिया द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत **"अध्यापन अभिवृत्ति मापनी"** का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण में कुल 90 प्रश्न थे जोकि अध्यापक अभिवृत्ति के विभिन्न पक्षों को इंगित करते थे। अध्यापन अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के विश्लेशण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, एवं टी–मूल्य का प्रयोग किया गया। वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अध्यापन अभिवृत्ति के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–मूल्य के मान तालिका–1 में प्रस्तुत हैं।

तालिका– 1 : वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अध्यापन अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–मूल्य

विद्यालय के प्रकार (Kind of Schools)	योग (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SE)	टी–मूल्य (t-value)
वित्तीय मान्यता प्राप्त	53	265.72	38.17	6.347	1.36
वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त	90	274.32	33.95		

तालिका–1 के अवलोकन से स्पश्ट है कि वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अध्यापन अभिवृत्ति के टी–मूल्य का मान 1.36 सार्थक नहीं है। अतः वित्तीय मान्यता प्राप्त एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इसके प्रकाश में शून्य परिकल्पना "वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अध्यापन अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" को स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार हम इस निश्कर्श पर पहुँचते हैं कि वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों की अध्यापन अभिवृत्ति में काई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन के निश्कर्श में वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अध्यापन अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन–अभिवृत्ति उच्च होनी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं पाया गया क्योंकि इन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक उच्च शैक्षिक योग्यताधारी प्रशिक्षित, स्थायी, एक निश्चित उच्च वेतनमान प्राप्त तथा अधिक शिक्षण अनुभव वाले हैं। जबकि वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक अप्रशिक्षित, अल्पवेतन भोगी, अस्थायी एवं अधिकांश कम अनुभव वाले हैं। सम्भवतः इसका कारण वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन कार्य के प्रति रूचि का न होना, गैर शैक्षणिक कार्यो में संलग्न होना, सेवा सुरक्षा के कारण भय का अभाव, अपने घर के पास नियुक्त होना तथा इन पर कोई प्रभावी नियन्त्रण न होना हो सकता है। वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम थी। एक ही समय में पूरे शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य लिपिकीय कार्य तथा समय–समय पर सरकार के अन्य कार्यो को भी सम्पादित करना पड़ता है। जिससे वे चाहकर भी शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं और धीरे–धीरे आगे चलकर यह उनकी आदत बन जाती है। ठीक इसके विपरीत वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विद्यालय समय में केवल अध्यापन कार्य ही करना पड़ता है। इन विद्यालयों के प्रबन्धकों का इन पर कड़ा नियन्त्रण रहता है जिससे वे न चाहकर भी शिक्षण समय में अध्यापन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं कर सकते। इन कारणों से ही हो सकता है कि वित्तीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों में अध्यापन अभिवृत्ति उच्च होने के स्थान पर धीरे–धीरे नीचे की ओर प्रवृत्त हो गयी तथा वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों में अध्यापन अभिवृत्ति उच्च की ओर प्रवृत्त हो गयी। फलस्वरूप दोनों प्रकार के वित्तीय एवं वित्त–विहीन मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

सन्दर्भ

अग्रवाल, सरोज (1996) : ए कम्पोरेटिव स्टडी ऑफ टीचिंग एटिट्यट एण्ड जॉब सैटिशफैक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स एण्ड परिशदीय प्राइमरी स्कूल्स, अनपब्लिस्ड प्रोजेक्ट वर्क, बैकुन्थी देवी कन्या महाविद्यालय, बालूगंज, आगरा।

अहलूवालिया, एस0पी0 (1978) : अध्यापन अभिवृत्ति मापनी, नेशनल साइकालोजिकल कारपोरेशन, आगरा।

गोस्वामी, टी0 एन0 (1987) : जॉब सैटिस्फैक्शन अमंग टीचर्स ऑफ सेन्ट्रल स्कूल्स, डॉक्टोरल थीसिसि, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।

जेराल्डेन, एन0 (1994) : एन इन्वेस्टीगेशन ऑफ द रिलेशन इन टीचिंग एण्ड जॉब सैटिशफैक्शन ऑफ रिक्गनाइज्ड हाई क्वालिटी टीचर्स एण्ड डिजरटेशन, नार्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी, डिजरटेशन एब्जेक्टस इन्टरनेशनल 49(9) 2471–ए।